4

वर्तमान परिदृश्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का समीक्षात्मक अध्ययन (छत्तीसगढ़ के संदर्भ में)

प्रीति साहू*
मुकेश चन्द्राकर**

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा एक संपूर्ण योजना है जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, अनौपचारिक शिक्षा, स्वच्छ वातावरण एवं अच्छी आदतों का विकास आदि सभी आधारभूत सेवाओं का एक पुंज है जिसका संचालन आँगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। इनकी सेवाओं को गाँव, ब्लॉक, जिला, राज्य तथा केंद्र स्तर में विभाजित कर बेहतर बनाया गया है। योजना के सुलभ संचालन की जवाबदेही महिला बाल विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, आँगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की है। इस लेख में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ में इस कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति का अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन द्वितीय आँकड़ों पर आधारित है। ये आँकड़े विभिन्न पुस्तकों, पत्रिकाओं, शासकीय वेबसाइटों से एकत्रित किए गए हैं।

बच्चे बचपन में सबसे अधिक सीखते हैं। मानव जीवन में बचपन को सबसे तीव्र वृद्धि और विकास का समय कहा गया है। वैज्ञानिक प्रमाण कहते हैं कि 90 प्रतिशत मस्तिष्क का विकास बचपन (5 वर्ष तक की आयु) में हो जाता है (सिंह, 2012; ई.सी.सी.ई. 2013)। इस विकास के बहुत से पहलू हैं— संज्ञानात्मक, भावात्मक, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि सभी का विकास समान रूप से होना चाहिए। जीवन की इस अवधि में आई कमियाँ मानव विकास को जीवन भर प्रभावित करती हैं, इसलिए भारत सरकार ने पीढ़ी-दर-पीढ़ी चले आ रहे सुविधाविहीनता के चक्र को तोड़ने और असमानता को दूर करने के लिए व दूरगामी सामाजिक व आर्थिक लाभ हेतु 2 अक्तूबर 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की पहल की। यह योजना गर्भवती महिला, किशोरियों, शिशु देखभाल व उनकी शिक्षा व संपूर्ण विकास पर केंद्रित है। जनगणना 2001 के अनुसार, भारत में प्रत्येक वर्ष 2.5 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं जिनकी मृत्यु दर 70/1000 है। हमारे देख में 0–6 आयु वर्ग के 15.8 करोड़ बच्चे हैं जिसमें से केवल 42 प्रतिशत बच्चे (12 से 23 महीने) का पूर्ण टीकाकरण करवा पाते हैं। वहीं 14 प्रतिशत बच्चे टीकाकरण नहीं करवा पाते हैं।

**शोधार्थी*, शिक्षा विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
***सहायक प्राध्यापक*, शिक्षा विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

0–6 आयु वर्ग के इन बच्चों में 5 प्रतिशत बच्चे कम या गंभीर रूप से खून की कमी (अनीमिया) के रोग से पीड़ित हैं तथा 47 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं एवं 6 वर्ष से कम उम्र के 16 करोड़ बच्चों में से केवल 3.42 करोड़ बच्चे कुपोषण से बचाव के लाभ ले रहे हैं एवं इनमें से केवल 1.94 लाख बच्चे ही एकीकृत बाल विकास सेवा के तहत शालापूर्व शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं (भारत सरकार 2002 (अ) *भारत में बालक— एक प्रोफाइल,* यू.एन.डी.पी.— *मानव विकास रिपोर्ट,* प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा— *राष्ट्रीय फोकस समूह 3.6,* रा.शै.अ.प्र.प.)

छत्तीसगढ़ में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा

भारत सरकार ने जब प्रारंभिक बचपन सेवा के आयोजन के क्षेत्र में विचार किया तब 1972 में योजना मंत्री ने समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजना शुरू करने का सुझाव दिया। यह समेकित बाल विकास योजना वर्तमान की समस्त समस्याओं व समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इस योजना की शुरुआत गाँधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर 2 अक्तूबर 1975 में 33 ब्लॉकों में शुरू की गई थी जिसमें से छत्तीसगढ़ (अविभाजित मध्य प्रदेश) उन प्रथम राज्यों में से एक था जो पायलेट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था। समेकित बाल विकास सेवा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के तोकापाल ब्लॉक में शुरू की गई थी। वर्ष 2011–2012 के अनुसार राज्य के 27 जिलों में 220 बाल विकास परियोजनाएँ और 43,763 आँगनबाड़ी केंद्र तथा 6,548 मिनी आँगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं। इन परियोजनाओं में से 84 ग्रामीण, 121 आदिवासी एवं 15 शहरी बाल विकास परियोजना हैं जिनमें क्रमशः 23,998 ग्रामीण, 17,424 आदिवासी तथा 2,027 शहरी आँगनबाड़ी केंद्र हैं। इन परियोजनाओं के तहत 5 लाख गर्भवती और शिशुवती माताओं, किशोरियों को पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत और लगभग 10 लाख बच्चे शालापूर्व शिक्षा के तहत कुल मिलाकर 30 लाख से अधिक हितग्राही लाभांवित हो रहे हैं (संस्कार अभियान— महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़)। इस योजना में बच्चों के पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच, देखभाल, शालापूर्व शिक्षा, छोटी-छोटी बीमारियों के प्रति जागरूकता, इलाज व संरक्षित और अनुकूल वातावरण तथा महिलाओं को पोषण, किशोरियों को टीकाकरण व परामर्श आदि को शामिल किया गया। इसके सुलभ संचालन हेतु कई स्तर व विभागों में सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। इन सबका केंद्रबिंदु आँगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो सभी योजनाओं को गाँव, ब्लॉक, जिला, राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित व लागू करते हैं (थिप्पेश और गुंजल, 2014)।

अध्ययन के उद्देश्य— अध्ययन के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं—

1. आँगनबाड़ी केंद्र की वर्तमान स्थिति का अध्ययन निम्न के संदर्भ में—
   - केंद्रों की संख्या
   - कर्मचारियों की संख्या
   - लाभार्थी छात्रों की संख्या
2. आँगनबाड़ी केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का अध्ययन करना।

3. आँगनबाड़ी केंद्र के अधिकारियों की संरचना एवं उत्तरदायित्व का अध्ययन करना।

अनुसंधान कार्यप्रणाली

वर्तमान अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। अध्ययन हेतु आँकड़े छत्तीसगढ़ की विभिन्न पुस्तिकाओं (*आँगनबाड़ी कार्यक्रम— एक प्रवेशिका, प्रशासकीय प्रतिवेदन 2020–2021, हस्तपुस्तिका, उड़ान 2017, संस्कार अभियान*) एवं वेबसाइट्स से एकत्रित किए गए हैं।

विश्लेषण एवं चर्चा

छत्तीसगढ़ राज्य में आई.सी.डी.एस. आँगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति

तालिका 1 में छत्तीसगढ़ राज्य में स्वीकृत मिनी आँगनबाड़ी केंद्र एवं आँगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति को दर्शाया गया है। वर्ष 2000–2001 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग होने के पश्चात छत्तीसगढ़ में 836 मिनी आँगनबाड़ी केंद्र एवं 20,289 आँगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत थे जो कि क्रमशः कुल केंद्रों के 3.96 प्रतिशत एवं 94.04 प्रतिशत थे। इस तालिका से यह स्पष्ट हो रहा है कि वर्ष 2005–2006 में एक भी मिनी आँगनबाड़ी केंद्रों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई, जबकि आँगनबाड़ी केंद्रों की संख्या में 9,148 की वृद्धि हुई, उसी प्रकार 2008–2009 एवं 2010–2011 में क्रमशः 1,483 एवं 4,229 मिनी आँगनबाड़ी केंद्र एवं 5,500 और 8,826 नए आँगनबाड़ी केंद्र खोले गए, परंतु 2010–2011 से 2016–2017 तक एक भी मिनी आँगनबाड़ी केंद्र एवं आँगनबाड़ी केंद्र नहीं खोले गए। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि 2010–2011 से 2016–2017 तक राज्य शासन द्वारा एक भी नए केंद्र की स्वीकृति नहीं दी गई। वर्ष 2020–2021 में राज्य सरकार द्वारा 2,897 नए आँगनबाड़ी केंद्रों को स्वीकृति दी गई। इस प्रकार 2020–2021 तक छत्तीसगढ़ में कुल 46,660 आँगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं जो कि वर्ष 2000–2001 कि तुलना में 129.97

तालिका 1— छत्तीसगढ़ में परियोजना व आँगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति

वर्ष	स्वीकृत मिनी आँगनबाड़ी	स्वीकृत आँगनबाड़ी	कुल केंद्र	वृद्धि (आधार वर्ष 2001)
2000–2001	836	20289	21125	
2005–2006	836	29437	30237	9112(43.14)
2008–2009	2319	34937	37256	16131(76.40)
2010–2011	6548	43763	50311	29186(138.19)
2011–2012	6548	43763	50311	29186(138.19)
2016–2017	6548	43763	50311	29186(138.19)
2020–2021	5814	46660	52474	31349(248.40)

स्रोत— स्ट्रैंथनिंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन छत्तीसगढ़—एन इवैल्युएशन ऑफ दि उड़ान पैकेज

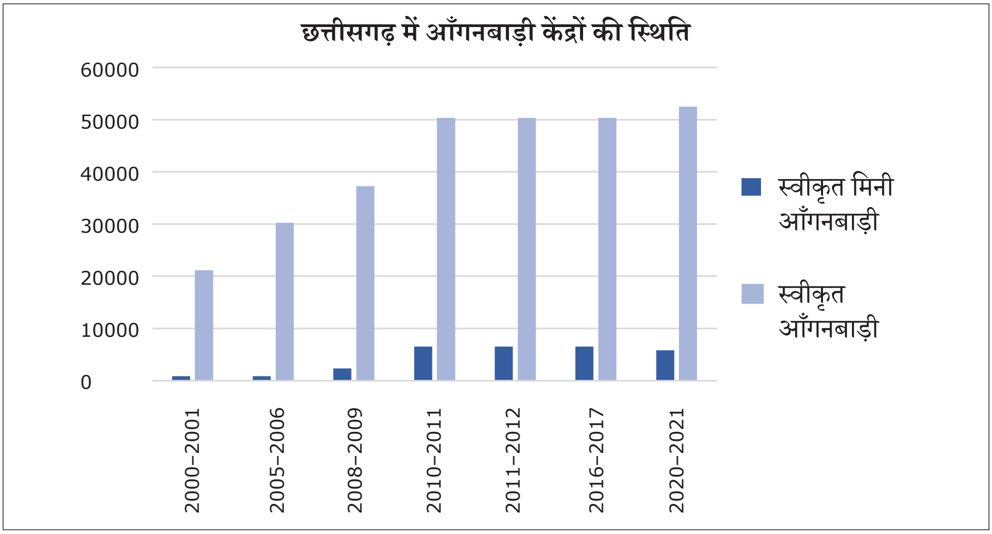

प्रतिशत की वृद्धि है। उसी प्रकार 2020–2021 के आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि मिनी आँगनबाड़ी केंद्रों की संख्या में 734 केंद्रों की गिरावट आई है जो कि वर्ष 2016–2017 के संदर्भ में 11.21 प्रतिशत की कमी थी, परंतु आधार वर्ष 2000–2001 की तुलना में 595.45 की वृद्धि है। उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से हम यह कह सकते हैं कि वर्ष 2000–2001 से 2020–2021 तक राज्य सरकार ने क्रमशः 4,978 मिनी आँगनबाड़ी केंद्र एवं 26,371 नए आँगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत कर खोले।

इस तालिका के आँकड़ों के वर्षवार विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि 2000–2001 की तुलना में आँगनबाड़ी केंद्रों की वृद्धि 2005–2006 में 9,112 (43.14 प्रतिशत), 2008–2009 में 16,131 (76.40 प्रतिशत), 2010–2011 से 2016–2017 तक में 29,186 (138.19 प्रतिशत) तथा 2020–2021 में 31,349 (248.40 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई। अतः यह कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में 2000–2001 से 2020–2021 तक आँगनबाड़ी केंद्रों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।

तालिका 2— छत्तीसगढ़ राज्य में आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के कर्मचारियों की स्थिति

आई.सी.डी.एस. कर्मचारी	छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वीकृत पद	नियुक्ति		रिक्त पद	
		कुल	*प्रतिशत (%)*	*कुल*	*प्रतिशत (%)*
सी.डी.पी.ओ./ए.सी.डी.पी.ओ.	323	126	39.01	197	60.99
पर्यवेक्षक	1617	1307	80.82	310	19.17
कार्यकर्ता	50311	48901	97.19	1410	2.80
सहायिका	46660	42523	91.13	4137	8.86

स्रोत–www.0icds-wcd.nic.in

नोट— यह सूचना 2015 की स्थिति में है।

तालिका 2 सी.डी.पी.ओ., पर्यवेक्षक, आँगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के पदों की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत, नियुक्ति व रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति को दर्शाती है। छत्तीसगढ़ में सी.डी.पी.ओ. के स्वीकृत पदों की संख्या 323 है जिसमें से केवल 126 पदों में ही नियुक्ति की गई है जो कि कुल स्वीकृत पदों का 39.01 प्रतिशत है एवं 197 अर्थात 60.99 प्रतिशत पद रिक्त हैं। उसी प्रकार पर्यवेक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या 1,617 थी, उनमें से 1,307 (80.82 प्रतिशत) पदों में नियुक्ति हुई एवं 310 (19.17 प्रतिशत) पदों में नियुक्ति शेष है। छत्तीसगढ़ में आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कुल 50,311 पद स्वीकृत हैं जिसमें से 48,901 (97.19 प्रतिशत) पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है एवं मात्र 1,410 (2.80 प्रतिशत) पदों पर ही नियुक्ति शेष है। उसी प्रकार सहायिका के कुल 46,660 स्वीकृत पदों में से 42,523 पदों में नियुक्ति की गई जो कि कुल स्वीकृत पदों का 91.13 प्रतिशत है एवं 4,137 (8.86 प्रतिशत), पदों पर आज तक नियुक्ति नहीं हो पाई है।

तालिका 3— छत्तीसगढ़ राज्य में शालापूर्व शिक्षा के लाभार्थियों की स्थिति

वर्ष	बालक	बालिका	कुल	वृद्धि आधर वर्ष 2010
2010	430788	434806	865594	–
2011	434974	441054	876028	10434 (1.20)
2012	443258	453678	896936	31342 (3.62)
2013	446246	453439	900181	34587 (3.99)
2014	435857	444376	880233	14639 (1.69)
2015	435857	444376	880233	14639 (1.69)
2017–2018	424630	429630	854260	–11334 (–1.31)
2018–2019	383582	389108	772690	–92904 (–10.73)

स्त्रोत— www.icds.wcd.nic.in

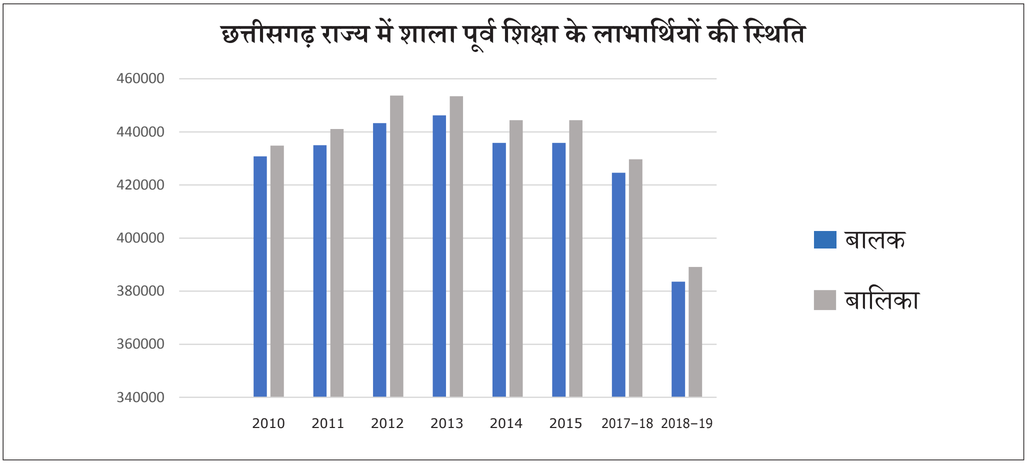

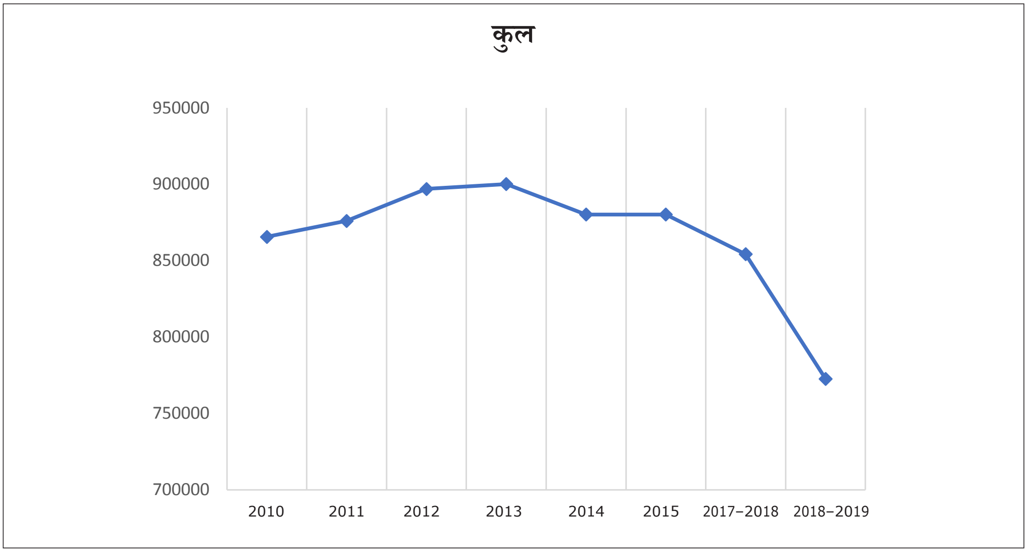

उपरोक्त तालिका में छत्तीसगढ़ राज्य में शालापूर्व शिक्षा से लाभांवित बच्चों की संख्या को दर्शाया गया है। अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पिछले 10 वर्षों में लाभांवित बच्चों की संख्या में उतार-चढ़ाव है। सन 2010 में कुल लाभांवित बच्चे 8,65,594 हैं जिसमें से बालकों की संख्या 4,30,788 व बालिकाओं की संख्या 4,34,806 थी। सन 2011 से 2013 तक लाभांवित बच्चों की संख्या में क्रमशः 1.02, 3.62, 3.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि सन 2014–2015 में लाभांवित बच्चों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं पाई गयी। सन 2017–2018 की तुलना में 2018–2019 तक लाभांवित बालकों की संख्या में 41,048 (–1.31) व बालिकाओं में 40,522 (–10.73) की कमी पाई गई। सन 2017–2018 व 2018–19 में लाभांवित बच्चों की वृद्धि 2015 के तुलना में क्रमशः 25,973 एवं 1,07,543 कम पाई गई तथा आधार वर्ष 2000–2001 की तुलना में इसकी वृद्धि क्रमशः 11,334 (–1.31) व – 92,904 (–10.73) है जो कि ऋणात्मक है। तालिका 3 के लाभांवित बालक एवं बालिकाओं के आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि सत्र 2010 से 2019 तक बालकों की तुलना में बालिकाओं में क्रमशः .93 प्रतिशत, 1.39 प्रतिशत, 2.35 प्रतिशत, 1.61 प्रतिशत, 1.95 प्रतिशत, 1.17 प्रतिशत व 1.44 प्रतिशत ज्यादा लाभांवित हुए थे। अतः यह कहा जा सकता है कि सन 2010 से 2015 तक लाभार्थी बच्चों की संख्या में बहुत कम वृद्धि हुई, जबकि 2018 में लाभार्थियों की संख्या में ऋणात्मक वृद्धि देखी गयी।

आँगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएँ

आँगनबाड़ी में पारस्परिक रूप से छह प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं— पूरक पोषण आहार, टीकाकरण, संदर्भ सेवाएँ, वृद्धि निगरानी एवं स्वास्थ्य पोषण, शालापूर्व शिक्षा एवं स्वास्थ्य परामर्श।

अक्तूबर 2012 में आँगनबाड़ी कार्यक्रम को पुनर्गठित किया गया एवं इसे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास केंद्र के रूप में देखा गया। पुनर्गठित आँगनबाड़ी व परंपरागत आँगनबाड़ी कार्यक्रम को मिलाकर अब मुख्य रूप से आँगनबाड़ी केंद्र द्वारा छह सेवाएँ— पूरक पोषाहार, पोषण एवं स्वास्थ्य परामर्श, टीकाकरण, विद्यालय पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जाँच एवं संदर्भ सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। उपरोक्त छह सेवाओं के विश्लेषण से निम्न निष्कर्ष पाए गए हैं।

पूरक पोषाहार संबंधित सेवाओं का निष्कर्ष

राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा नीति 2013 का उद्देश्य गर्भावस्था से 6 वर्ष तक के बच्चों की संपूर्ण विकासात्मक आवश्यकता के अनुरूप व्यापक बाल्य देखभाल सेवाएँ व सुविधाएँ प्रदान करना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पूरक आहार व विकास निगरानी को शामिल किया है। इसके तहत आँगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका की मदद से अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण कर गर्भवती महिला व 0–6 वर्ष तक के बच्चों की पहचान कर उन्हें पूरक आहार व स्वास्थ्य सेवाओं की सहायता प्रदान करते हैं।

स्वास्थ्य जाँच एवं संदर्भ सेवाएँ

0–6 आयु के बच्चों को पोलियो, टेटनेस, खसरा, डी.पी.टी., टी.बी., बाल मृत्यु, विकलांगता, रुग्णता और संबंधित कुपोषण तथा महिलाओं में अनीमिया, मातृत्व मृत्यु दर, गर्भस्थ शिशु मृत्यु आदि प्रमुख समस्याएँ हैं। इस समस्या का समाधान आँगनबाड़ी व स्वास्थ्य विभाग दोनों की जिम्मेदारी है। इसके लिए ऑग्जिलरी नर्स मिडवाइफरी (ए.एन.एम.) या सहायक नर्स व आँगनबाड़ी कार्यकर्ता की मदद से गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात देख-रेख, छोटी-छोटी बीमारियों का निदान, शिशु स्वास्थ्य जाँच, दवाई वितरण, माता-पिता या बालक को जागरूक करना, रिकॉर्ड रखना, टीकाकरण व जाँच शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया जाता है। जन्म से 3 वर्ष तक के सभी बच्चों की प्रत्येक माह वृद्धि जाँच की जाती है।

स्वास्थ्य जाँच और विकास निगरानी के दौरान, बीमार या कुपोषित बच्चे, जिन्हें आवश्यकतानुसार तत्काल चिकित्सा सुविधा की जरूरत होती है, उन्हें आँगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उपकेंद्र में रेफर किया जाता है तथा छोटे बच्चों में विकलांगता का पता लगाकर उन्हें सूचीबद्ध कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/उप-केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और ए.एन.एम. को संदर्भित किया जाता है।

शालापूर्व शिक्षा

इस कार्यक्रम के तहत 3–6 वर्ष के बच्चों को सीखने योग्य वातावरण प्रदान करना उनके शारीरिक, बौद्धिक, सौन्दर्यात्मक, भावात्मक व सामाजिक गुणों के विकास को बढ़ाया जा रहा है। बच्चों को शिक्षा, खेल गतिविधियों के माध्यम से प्रदान की जाती है, इसके लिए सहायक सामग्री हेतु स्थानीय संस्कृति और प्रथाओं पर आधारित सामग्री का उपयोग करके शिक्षा को सरल बनाया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में समेकित बाल विकास योजना विस्तार के तीसरे चरण में इन आँगनबाड़ी केंद्रों में शालापूर्व शिक्षा हेतु लगभग 10 लाख बच्चे नामांकित हैं।

आँगनबाड़ी कार्यकर्ता शालापूर्व शिक्षा संबंधी मूलभूत जानकारी हेतु शालापूर्व शिक्षा किट (*संस्कार, उड़ान*) का उपयोग करते हैं, इस किट को समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। (संस्कार अभियान— *प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा 2017*)।

टीकाकरण एवं स्वास्थ्य शिक्षा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने शिशु बाल स्वास्थ्य (आर.सी.एच.) कार्यक्रम के तहत टीकाकरण सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। आँगनबाड़ी कार्यकर्ता टीकाकरण के लिए लक्षित आबादी में स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता करते हैं। वह निश्चित दिन के टीकाकरण सत्र के आयोजन में मदद करते हैं। वह एकीकृत बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) लाभार्थियों के टीकाकरण रिकॉर्ड रखते हैं और पूर्ण लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं। आयरन और विटामिन 'ए' सप्लीमेंटेशन आयरन फोलिक एसिड (आई.एफ.ए.) टैबलेट टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रदान किया जाता है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रजनन बाल स्वास्थ्य प्रणाली (आर.सी.एच.) कार्यक्रम के तहत भी वितरित किए जाते हैं।

पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (एन.एच.ई.)

एन.एच.ई. का 15–45 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं के क्षमता निर्माण का दीर्घकालिक लक्ष्य है, ताकि वे अपने स्वास्थ्य, पोषण और विकास की ज़रूरतों के साथ-साथ अपने बच्चों और परिवारों की देखभाल कर सकें। पोषण की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की भोजन की आदतों और प्रथाओं को स्थापित करने में मदद करना है जो शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और जिस क्षेत्र में वे रहते हैं उसके सांस्कृतिक पैटर्न और खाद्य संसाधनों के अनुकूल हैं।

आई.सी.डी.एस. का संगठन

आई.सी.डी.एस. का संगठन पाँच अलग-अलग स्तरों में विभाजित है— केंद्रीय स्तर, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर।

(केंद्रीय स्तर) महिला बाल विकास मंत्रालय

↓

(राज्य स्तर) महिला बाल विकास विभाग

↓

(जिला स्तर) समेकित बाल विकास परियोजना

↓

(ब्लॉक स्तर) बाल विकास परियोजना

↓

(ग्राम स्तर) आँगनबाड़ी केंद्र

केंद्रीय स्तर पर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग है, जिसकी जिम्मेदारी बजटीय नियंत्रण और कार्यक्रम के क्रियान्वयन की है। राज्य स्तर पर, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास, आदिवासी कल्याण विभाग राज्य के भीतर

कार्यक्रम के सुलभ परिपालन/क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।

राज्य स्तर पर, कार्यक्रम की निगरानी के लिए आई.सी.डी.एस. प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है। राज्य के भीतर, आई.सी.डी.एस. का प्रशासन जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर और आँगनबाड़ी केंद्र पर विकेंद्रीकृत है।

जिला स्तर पर, जिला अधिकारी (कलेक्टर/जिला विकास और कार्यक्रम अधिकारी/उपायुक्त) योजना के समन्वय और सुलभ परिपालन/कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार/उत्तरदायी है। जिलों के भीतर आई.सी.डी.एस. की प्रशासनिक इकाई को आई.सी.डी.एस. परियोजना कहा जाता है।

ब्लॉक स्तर पर, बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी.डी.पी.ओ.) ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम को सुचारु रूप से लागू करने की जिम्मेदारी है।

आई.सी.डी.एस. परियोजना में ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक विकास खंड, जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय विकास खंड और शहरी क्षेत्र में मलिन बस्तियों का समूह शामिल है।

प्रत्येक ब्लॉक में औसतन 100 आँगनबाड़ी केंद्र हैं। पर्यवेक्षण की सुविधा के लिए आँगनबाड़ी केंद्र की संख्या के आधार पर ब्लॉक को 4–5 सर्कलों में विभाजित किया गया है; प्रत्येक सर्कल में एक पर्यवेक्षक कम से कम 25 आँगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण और जो सी.डी.पी.ओ. को रिपोर्ट करता है। नए मापदंड के अनुसार जनजातीय परियोजना में 17, ग्रामीण परियोजना में 20, शहरी परियोजना में 25 पर्यवेक्षणों का दायित्व है। बड़े ग्रामीण और आदिवासी ब्लॉकों में, एक अतिरिक्त बाल विकास परियोजना अधिकारी (एसी.डी.पी.ओ.) की नियुक्ति की जाती है जो पर्यवेक्षकों और सी.डी.पी.ओ. के बीच की कड़ी बनाता है और सी.डी.पी.ओ. को दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलापों और क्षेत्र के दौरे में सहायता करता है। गाँव स्तर पर स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षिक सेवाओं का पैकेज गाँव या शहरी स्लम क्षेत्र में स्थित आँगनबाड़ी केंद्र (ए.डब्ल्यू.सी.) में प्रदान किया जाता है। आई.सी.डी.एस. सेवा वितरण के लिए आँगनबाड़ी केंद्र बिंदु है जो रविवार और छुट्टियों को छोड़कर आम तौर पर चार घंटे के लिए दैनिक रूप से संचालित होता है। जमीनी स्तर पर एक महिला आँगनबाड़ी कार्यकर्ता आई.सी.डी.एस. की प्रमुख कार्यकर्ता होती है जो कि एक स्वैच्छिक कार्यकर्ता है जिसे प्रतिमाह मानदेय के आधार पर भुगतान किया जाता है। उसे एक आँगनबाड़ी सहायिका (ए.डब्ल्यू.एच.) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिसे मासिक मानदेय मिलता है। अपने स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को करने में आँगनबाड़ी कार्यकर्ता को स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पी.एच.सी.) और उप-केंद्रों के स्वास्थ्य अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है।

पदाधिकारियों की मुख्य जिम्मेदारियाँ

समेकित बाल विकास योजना में काम करने वाले मुख्य पदाधिकारी इस प्रकार हैं— जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/सहायक संचालन, परियोजना स्तर पर

परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, ग्राम स्तर पर आँगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका।

बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी.डी.पी.ओ.)

समेकित बाल विकास सेवा परियोजना का क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासनिक और कार्यान्वयन संबंधी कार्यों के लिए जवाबदेही है।

- परियोजना स्तर पर समेकित बाल विकास सेवा परियोजना का प्रमुख कार्यकर्ता होता है। यह प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता है तथा पर्यवेक्षक, आँगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका समेत पूरे समूह का संचालन करता है तथा इस कार्य के लिए क्षेत्रीय दौरा व बैठक आयोजित करता है।
- राज्य व जिला स्तर के अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर कार्यक्रम में वर्णित आपूर्तियों की अधिप्राप्ति, ढुलाई, भंडारण, वितरण व मासिक तथा वार्षिक निधियों को आवंटित करने की व्यवस्था करता है।
- परियोजना अधिकारी की जवाबदेही है कि वह परियोजना कार्यक्रम के लिए वितरित किए गए सभी संसाधनों का इस्तेमाल, सामग्री की स्थिति व लेखा-जोखा रखे।
- समेकित बाल विकास सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वयंसेवी संगठनों व पंचायती संस्थाओं से कार्यात्मक संपर्क की स्थापना की व्यवस्था करता है तथा स्थानीय समुदाय को योगदान एवं कार्यकर्ता की सहायता से आयोजन किए जाने वाले कार्यक्रम (पोषाहार, सफाई संबंधी, शालापूर्व अनौपचारिक शिक्षा, टीकाकरण जागरूकता) आदि देने के लिए उत्साहित करता है।
- राज्य व केंद्रीय समेकित बाल विकास सेवा योजना को भेजी जाने वाली सूचनाओं के लिए समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट तैयार करना परियोजना अधिकारी का उत्तरदायित्व है।
- पर्यवेक्षक व आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण या अनुशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है।
- अपने क्षेत्रीय दौरे व मासिक बैठक कार्यक्रम का ब्यौरा अपने उच्च अधिकारियों को भेजना। क्षेत्रीय दौरे व मासिक बैठक कार्यक्रम की रूपरेखा संबंधित अधिकारियों के विचार-विमर्श से बनाई जाती है।

पर्यवेक्षक

- लक्ष्य समूह की पहचान करना, उनकी सूची बनाना, ग्रामों में जन्म एवं मृत्यु का अभिलेख तैयार करना व लाभार्थियों की सूची बनाने के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण में आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करना।
- अपने अधीनस्थ आँगनबाड़ी केंद्रों का नियमित क्षेत्र भ्रमण द्वारा निरीक्षण करना तथा बैठक बुलाने के कार्यक्रम में आँगनबाड़ी कार्यकर्ता की सहायता करना।
- परियोजना अधिकारी को नियमित समय तक प्रतिमाह मासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर भिजवाना।
- आँगनबाड़ी केंद्रों में निर्धारित समय-सारणी के अनुसार शालापूर्व अनौपचारिक शिक्षा के संचालन का निरीक्षण करना तथा कमी पाए जाने

पर कार्यकर्ता को आवश्यकतानुसार निर्देश एवं मार्गदर्शन देना।

- परियोजना अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मचारी व आँगनबाड़ी कार्यकर्ता के बीच कड़ी के रूप में कार्य करना तथा कार्य संबंधी समस्याओं को हल करने हेतु उनका मार्गदर्शन करना व आवश्यकतानुसार परियोजना अधिकारी को सूचित करना।
- पूरक पोषाहार, दवाइयों, खाद्य सामग्री भंडारण, शालापूर्व शिक्षा से संबंधित सामग्री, रजिस्टरों तथा रिकॉर्डों का समय-समय पर निरीक्षण करना व कमी पाए जाने पर परियोजना अधिकारी को सूचित करना।
- परियोजना मुख्यालय में होने वाली बैठक में परियोजना अधिकारी की मदद से अपने क्षेत्र की आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के मानदेय का भुगतान, उनकी अनुपस्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था, बैठक की तिथि निर्धारण, किसी विशेष समस्या या स्थिति के बारे में अधिकारियों को अवगत कराने में सहायता करेंगी।

आँगनबाड़ी कार्यकर्ता

- आँगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत आने वाले सभी हितग्राहियों को चिह्नित करना, उनकी सूची तैयार करना तथा हर तीसरे माह उसे अद्यतन करना तथा हितग्राहियों के लिए रक्षा कार्ड तैयार करना व कार्ड की जानकारी देना, पूरक पोषणाहार का वितरण करना।
- महिला व बच्चों से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन करना व लोगों को इस विषय में जागरूक करना। गर्भवती माता, शिशुवती माता, किशोरियों तथा 05 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य जाँच व टीकाकरण सेवा उपलब्ध करना और वृद्धि निगरानी कर वृद्धि चार्ट तैयार करना।
- शालापूर्व अनौपचारिक शिक्षा का पूर्व-निर्धारित समय-सारणी के अनुसार आयोजन करना।
- आँगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षण सामग्री, मेडिसिन किट, पोषणाहार, खिलौने आदि की सही देखरेख करना।
- आँगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्र स्तर पर उन सभी अभिलेख को व्यवस्थित तथा अद्यतन करना तथा पर्यवेक्षक के निर्देशानुसार व पूर्व-निर्धारित प्रारूप में मासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर निर्धारित समय में पर्यवेक्षक को देना।
- जिला महिला बाल विकास अधिकारी, पर्यवेक्षक व शासन द्वारा समय-समय पर दिए गए अन्य कार्यों का निर्वहन करना।
- सामान्य आँगनबाड़ी केंद्र से एक आदर्श आँगनबाड़ी केंद्र बनाने की हर संभव कोशिश करना इसके लिए विशेष कार्यक्रम, जैसे— गोदभराई, बाल भोज, वजन त्यौहार व जागरूकता शिविर करना।

आँगनबाड़ी सहायिका

आँगनबाड़ी सहायिका को आँगनबाड़ी कार्यकर्ता की सहायता के लिए ही नियुक्त किया जाता है। इनका मुख्य कार्य बच्चों को लाना-छोड़ना, बच्चों के लिए खाना बनाना तथा बच्चों व आँगनबाड़ी केंद्र का रखरखाव करना है।

- आँगनबाड़ी केंद्र को प्रतिदिन समय पर खोलना, आसपास की सफाई करना, स्वच्छ पानी भरना आदि।

- आँगनबाड़ी कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में कार्यकर्ता के सभी सामान्य कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को वहन करना।
- शालापूर्व अनौपचारिक शिक्षा की गतिविधियों में आँगनबाड़ी कार्यकर्ता की सहायता करना।

निष्कर्ष

समेकित बाल विकास योजना पर कई शोध हुए हैं जिसमें सकारात्मक व नकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। आई.सी.डी.एस. के प्रभाव को उच्च करने के लिए इसकी कमी को कम करना होगा। आँगनबाड़ी संचालन की आधारभूत आवश्यकता भौतिक संसाधन, भवन है जिसमें कमी पाई गई है (कुमारी, 2016, प्रजापति; 2018)। भौतिक संसाधन आँगनबाड़ी कार्यकर्ता के औजार के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए आवश्यक है कि इसे और अधिक विशिष्ट बनाया जाए। आँगनबाड़ी के कर्तव्यों को और अधिक स्पष्ट किया जाए, सी.डी.पी.ओ., स्वास्थ्य अधिकारी व पर्यवेक्षक के साथ समन्वय और बेहतर बनाया जाए तथा इनके रिक्त पदों की भर्ती की जाए। आँगनबाड़ी में पोषक आहार वितरण, स्वास्थ्य जाँच व सामुदायिक सदस्यों की भागीदारी से यह सभी कार्य सफलता से संचालन हो रहा है (प्रजापति, 2018)। समेकित बाल विकास कार्यक्रम का नियमित मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थियों की संख्या में कमी के कारणों का व कमजोर कड़ी की पहचान कर उसे ठीक किया जा सके।

संदर्भ

आई.सी.डी.एस. मिशन— कार्यान्वयन के लिए विस्तृत ढाँचा. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

आँगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण संदर्शिका. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

आँगनबाड़ी कार्यक्रम— एक प्रवेशिका. 2014. एनईजी-फायर, नई दिल्ली.

थिप्पेश और गुंजल. 2014. फंक्शनरी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंट्रीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस (आई.सी.डी.एस.) : अ स्टडी इन कर्नाटक. *आई.आर.जे.एम.एस.एच*. वॉल्यूम 5. आई.एस.एस.एन. 2277-9809. www.irjmsh.com.

न्यू बोर्न एक्शन प्लान 2014. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली.

प्रजापति, ए.के. 2018. अन इवोल्युएटिव स्टडी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन सागर एंड भोपाल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश, पीएच.डी. एजुकेशन. https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/276317

प्रशासकीय प्रतिवेदन 2020–2021. महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन.

रा.शै.अ.प्र.प. 2010. प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा-राष्ट्रीय फोकस समूह. *आधार पत्र* 3.6. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली.

संस्कार अभियान : आरंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या. महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन.

सिसोदिया, यू. और ए. कुमारी, 2016. क्वालिटी ऑफ प्री-स्कूल एंड इट्स इम्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. *एडवांस रिसर्च जर्नल ऑफ सोशल साइंस*, वाल्यूम 7. ईशु. 2. आई.एस.एस.एन. 2231-6418.

सिंह, ए.के. 2012. *शिक्षा मनोविज्ञान*. भारती भवन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, पटना.

उड़ान हस्तपुस्तिका. 2017. शिशु शिक्षा एवं देखभाल, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर.

http://www.cgwcd.gov.in

www.icds-wcd.nic.in